भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 343

जिसका उत्तर मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए संशोधित ऊर्जा मानदंडों में तेजी लाना

343. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए ऊर्जा मानदंडों के संशोधन हेतु नीति आयोग के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और संशोधित ऊर्जा मानकों की अधिसूचना जारी करने तथा उनके क्रियान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सहकारी यूरिया विनिर्माण इकाइयों को तय लागत की प्रतिपूर्ति से संबंधित काफी समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए शीघ्र और निर्णायक कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ किया जा सके, परिचालन दक्षता में सुधार हो और किसानों को उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): वर्तमान में मामले की जांच प्रस्तावित ऊर्जा मानकों के कार्यान्वयन के लिए की जा रही है।

(ग): व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की इस टिप्पणी के अनुसार कि यूरिया इकाइयों के लागत-निर्धारण से संबंधित मुद्दों को जांच और सिफारिश के लिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को भेजा जाए, उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया है कि मुख्य सलाहकार (लागत) जांच करें और संशोधित एनपीएस-III के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्थात 2 अप्रैल, 2014 से 2300 रुपये प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम निर्धारित लागत के प्रावधानों को बहाल करने के संबंध में सिफारिशें दें। विभाग में मुख्य सलाहकार (लागत) की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसकी वर्तमान में जांच की जा रही है।

****